नि/2832/II/15 (92)

13/8

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय मध्य-प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किटकोर्ट रीवा म.प्र.

COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

आवेदक अभिभावक श्री गु. बी. सिंह द्वारा पेश 27.7.15

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

रविनन्दन सिंह तनय रंगदेव सिंह ग्राम शिवपुरवा तहसील -चुरहट, जिला सीधी म.प्र. .... निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामचन्द्र पिता शिवनाथ बढ़ई

2. ब्रजलाल पिता रामचन्द्र बढ़ई दोनों निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील-चुरहट, जिला-सीधी (म.प्र.) ....गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध तहसीलदार तहसीलचुरहट का प्रकरण क्रमांक-13/अ-70/2014-2015 आदेश दिनांक-26-05-2015

==============================

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.सं.

==============================

मान्यवर,

निगरानी के आधारनिम्नहै:-

(1) यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यहकि अधीनस्थ न्यायालय में निगरानीकर्ता ने आवेदन-पत्र म.प्र. भू-राजस्व संहिताकी धारा 250 एवं 250(3) के तहत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम शिवपुरवा की आराजी क्रमांक-291 रकबा0.015 हे., का वह भूमिस्वामी है, उक्त आराजी गैर निगरानीकर्तागणों द्वारा सरहंगता पूर्वक दिनांक 27.2.15 से 40 हाथ लम्बा एवं 7 हाथ चौड़ा माकान का निर्माण किया जा रहाहै।उक्त माकान के निर्माण को रोक लगाकर गैरनिगरानीकर्तागणों

क्र. 2पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

[redacted] क्रमांक R2832-II/15 जिला–सीधी

रविनन्दन सिंह/ रामचन्द्र वगैर

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रभात सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील चुरहट के प्रकरण क्रमांक 13/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उमयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	